उद्यमिता विकास से कमजोर और वंचितों का सशक्तीकरण

सुनील शुक्ला

देश में सामाजिक रूप से पिछड़े और हाशिए पर मौजूद लोगों के बीच (खास तौर पर वैसे लोग जो भेदभाव के शिकार हैं, उद्यमिता संबंधी क्षमताओं को बढ़ावा देकर सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर बहुआयामी प्रगति हासिल की जा सकती है। इसे भेदभाव की सामाजिक बीमारी से निपटने के लिए सकारात्मक कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है

एक विकासशील अर्थव्यवस्था को अपने कार्यक्रमों और अभियानों में समावेशी होने की जरूरत होती है, ताकि समाज के सभी तबके को सशक्त बनाया जा सके। पिछले 7 दशकों में भारत ने हर वर्ग के लिए आर्थिक सशक्तीकरण के मौके मुहैया कराने के लिए रणनीतिक तौर पर दखल दिया है। इसके बावजूद समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की खातिर कदम उठाने के लिए काफी गुंजाइश बची हुई है। इस वर्ग के पास सामाजिक और आर्थिक सीढ़ी पर आगे की तरफ बढ़ने के लिए सामाजिक पूंजी की कमी है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, दिव्यांग और महिलाओं को हमारे समाज में भेद-भाव की बीमारी की वजह से कई मौकों पर अलगाव का सामना करना पड़ता है। हमारी आबादी के दिव्यांग तबके को भी कभी-कभी रहन-सहन में खराब स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच विषमता जैसी स्थितियां लगातार बढ़ रही हैं।

अगर इस आबादी का कमजोर तबका लिंग और दिव्यांगता के लिहाज से टुकड़ों में बांटा जाता है, तो इस तरह के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। उदारीकरण और आर्थिक प्रगति के कई साल बीत जाने के बाद भी संसाधनों और अवसरों की एक समान उपलब्धता और समावेशी विकास का लक्ष्य अब तक पूरा नहीं किया जा सका है।

अनुकूल सामाजिक माहौल

नीति आयोग के लिए 'प्रथम' की तरफ से किए गए अध्ययन में शामिल होने वाले अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों के तकरीबन 70 फीसदी प्रतिनिधियों ने अपने शहरी समकक्षों के उलट 'स्व-रोज़गार' और उद्यमी बनने की बात कही (द इंडियन एक्सप्रेस 2016)। अध्ययन के नतीजे इस तथ्य की तसदीक करते हैं कि देश के युवा (खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में) गरीबी और बेरोज़गारी की चुनौती से निपटने की खातिर उद्यमिता के लिए तैयार हो रहे हैं। भारत उत्साह और साहस से लैस युवाओं का देश है। अगर हम युवाओं के जनसांख्यिकी स्वरूप को देखें, तो इनमें से ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के वंचित समुदायों से आते हैं, जो संसाधनों का अभाव वाले माहौल में रहते हैं। हालांकि, इन लोगों के अंदर उद्यमिता के लक्षण हैं, जिन्हें सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। नए उत्पाद का आविष्कार, नए समाधान और महत्वपूर्ण खोज के जरिए जटिल सामाजिक समस्याओं को सुलझाने जैसी बातें इन युवाओं को आकर्षित करती हैं। वे समाज में बदलाव का प्रतिनिधि बनने की हसरत रखते हैं। इसके तहत उन्हें नए व्यापार के तौर पर अपने सोच को आगे बढ़ाने के लिए भरोसेमंद समर्थक प्रक्रिया के साथ सही सलाह की जरूरत होती है, ताकि वे अपनी सोच को सफल व्यापार में तब्दील कर सकें।

दुनिया में उद्यमिता की गतिशीलता को लेकर सबसे बड़े सालाना अध्ययन 'द ग्लोबल आंत्रप्रेन्योरिशिप मॉनिटर (जीईएम)' की 2016-17 की रिपोर्ट में 'उद्यमिता संबंधी नीयत' की दर बढ़कर 14.9 फीसदी होने की बात कही गई है, जबकि 2015-16 में यह आंकड़ा 9 फीसदी था। इसी तरह अध्ययन के मुताबिक 'असफल होने का डर' संबंधी

डॉ. सुनील शुक्ला भारत उद्यमिता विकास संस्थान के निदेशक और वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर, भारत के राष्ट्रीय टीम लीडर हैं। ईमेल: sunilshukla@ediindia.org

मामले 2016-17 में घटकर 37.5 फीसदी हो गए, जबकि 2015-16 में यह आंकड़ा 37.5 फीसदी था।

'द ग्लोबल आंत्रप्रेन्योरिशिप मॉनिटर' रिपोर्ट 2016-17 में बताया गया है कि भारत में तकरीबन 44 फीसदी वयस्क को लगता है कि व्यापार शुरू करने के लिए उनके पास अच्छे मौके हैं, जबकि 44 फीसदी का मानना है कि उनके पास व्यापार शुरू करने की क्षमता है। इसी तरह, एम्वे उद्यमिता इंडिया रिपोर्ट 2015 में बताया गया कि सर्वे में शामिल 30 फीसदी प्रतिनिधियों ने 'अपना व्यापार शुरू करने' की योजना का जिक्र किया। इस अध्ययन में 21 राज्यों के अलग-अलग आय समूहों, अलग-अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि के पुरुष-महिला दोनों को शामिल किया गया। यहां जिन दो अध्ययनों का जिक्र किया गया है, उनके नतीजों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उद्यमिता का भविष्य बेहतर है, क्योंकि समाज में इसको लेकर धारणा तेजी से बदली है। यह देश में उद्यमिता के विकास का शुभ संकेत है।

उद्यमिता विकास से संबंधित पहल के जरिये समाज के वंचित तबकों को सशक्त बनाने की बहुस्तरीय रणनीति

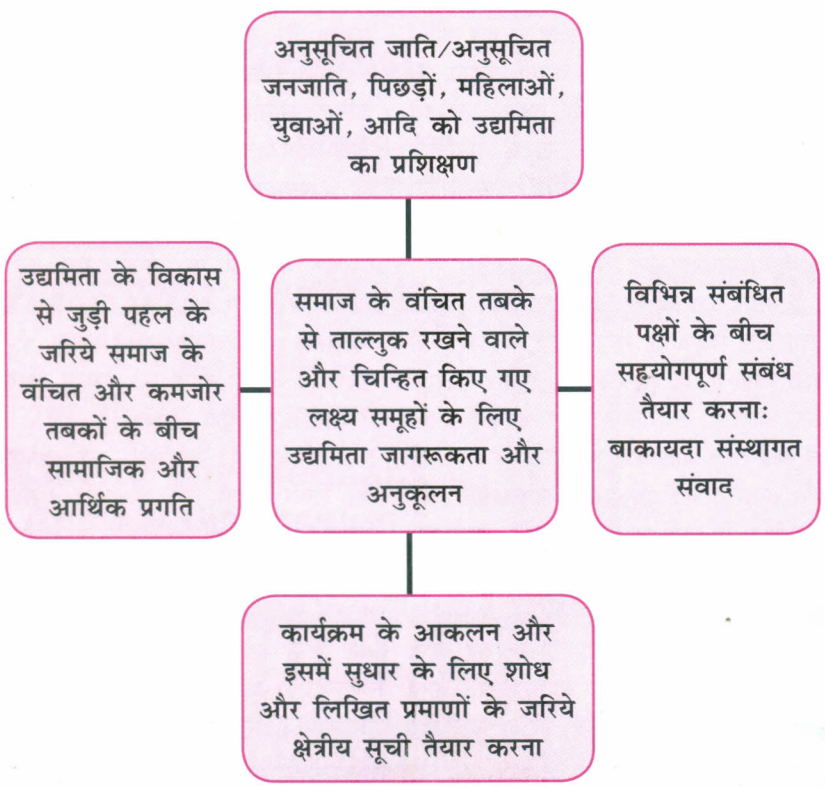

चुनौतियां और अवसर

हाशिए पर मौजूद लोगों में शिक्षा और कौशल की कमी उनकी राह में बड़ी बाधा है। इसके परिणामस्वरूप उनके पास काम और जिम्मेदारियों को अंजाम देने को लेकर आत्मविश्वास की कमी होती है। खास तौर पर महिलाओं में इस तरह के आत्मविश्वास की कमी को देखा जा सकता है। उद्यमिता को लेकर प्रेरणा और प्रशिक्षण के साथ कौशल विकास के जरिए इन कमियों को दूर किया जा सकता है। युवाओं के बीच आत्मविश्वास पैदा करने और उनका उत्साह बढ़ाने में कार्यशाला और सेमिनार सेशन जांचा-परखा उपाय साबित हुए हैं।

इस दिशा में रणनीतिक नियोजन के जरिए समाज के वंचित तबकों को स्वरोज़गार से जुड़े अवसरों के लिए तैयार किया जा सकता है। रणनीतिक नियोजन के तहत उद्यमिता से जुड़े प्रशिक्षण, सलाह-निर्देशन पर फोकस किया जाना चाहिए।

वित्तीय साधनों की कमी, जोखिम का डर और संबंधित काम के बारे में जानकारी का अभाव जैसी वजहें लोगों को अपना उद्यम खड़ा करने से रोकती हैं। जमीनी स्तर पर हुए अध्ययनों की मानें तो कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा, पर्याप्त पूंजी और बाजार ढांचा की कमी आदि ग्रामीण उद्यमी के लिए प्रमुख बाधा की तरह हैं। साथ ही, शिक्षा की कमी के कारण भी ग्रामीण उद्यमियों को विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है और उनके पास काबिलियत का अभाव होता है (सक्सेना, 2012, पेज 24)। लिहाजा, वे अक्सर खुद को स्वरोज़गार के काम में प्रवेश करने से दूर रखते हैं और दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते रहते हैं।

ग्रामीण उद्यमिता से जुड़ी इन संभावनाओं और चुनौतियों के मद्देनजर उद्यमिता का ग्रामीण ढांचे के संदर्भ में आकलन जरूरी है। संबंधित इलाके की प्रकृति और जरूरतों के मुताबिक उद्यमिता के लिए उचित विकास कार्यक्रम तैयार करने की खातिर बाजार की आंतरिक परिस्थितियों और व्यापक नीतिगत तंत्र पर उसकी निर्भरता के बीच अंतर-सबंधों

को समझना जरूरी है।

1990 के बाद भारत में हुए आर्थिक सुधारों के बाद देश में अनुसूचित जाति वर्ग की उद्यमिता में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन निजी उद्यमियों के मालिकाना हक में उनका प्रतिनिधित्व और उनके द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए रोज़गार पैदा करने के आंकड़े (अय्यर, खुराना और वार्ष्णेय, 2011) काफी कम हैं। अनुसूचित जाति के मालिकाना हक वाले उद्यमों में कर्मियों की अपेक्षाकृत कम भागीदारी के बारे में अय्यर का कहना है कि अनुसूचित जाति के मालिक अब तक उद्यमिता की उन बाधाओं को पार नहीं कर पाए हैं, जिससे ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मालिक निपटने में सक्षम हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति के कारोबारी को व्यवसाय के क्षेत्र में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उनमें प्रतिस्पर्धा में टिकने की क्षमता की भी कमी होती है। इस वजह से अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए अपने कारोबार का विस्तार करना मुश्किल होता है। डीआईसीसीआई ने वंचित समुदायों के युवाओं के सशक्तीकरण के लिए कई प्रशंसनीय कदम उठाए हैं। उपरोक्त चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा नीतिगत स्तर पर इस तरह के फैसले लिए गए हैं:

स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम

स्टार्ट-अप इंडिया एक्शन प्लान के तहत भारत सरकार ने फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्ट-अप (एफएफएस) के तहत स्टार्ट-अप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया था। इस फंड का मकसद अगले 4 साल में इन कंपनियों को मदद मुहैया करना था। नए उद्यम के लिए फंड जीवन-रेखा की तरह होते हैं। इस रकम का भुगतान भारत लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के

पीएमएमवाई योजना के तहत 12 करोड़ लाभार्थियों को 6 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं और कुल 12 करोड़ लाभार्थियों में से 28 फीसदी (यानी 3.25 करोड़) पहली बार उद्यमी बने हैं। साथ ही, इस बात का उल्लेख करना भी जरूरी है कि तकरीबन कर्ज लेने के मामले में 74 फीसदी (तकरीबन 9 करोड़) महिलाएं हैं और 55 फीसदी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। तीन साल में इस योजना के तहत समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि, इस मामले में अभी काफी कुछ हासिल किया जाना बाकी है।

जरिए होता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक एफएफएस के लिए सिडबी को 600 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सिडबी द्वारा जहां 605.7 करोड़ रुपए का वादा किया गया है, वहीं 17 वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) को 90.62 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस तरह का निवेश कुल 337.02 करोड़ रहा है और इसे तकरीबन 75 स्टार्ट-अप तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में किए गए दावों के मुताबिक, आयकर अधिनियम की धारा 80 आईएसी के तहत कुल 74 स्टार्ट-अप को टैक्स में छूट दी गई है। बेशक, इन उपायों से स्टार्ट-अप की संभावनाओं में बढ़ोतरी और देशभर में उद्यमियों में जान फूंके जाने की उम्मीद है, लेकिन स्टार्ट-अप इंडिया अभियान युवाओं और उद्यमिता की हसरत रखने वालों के लिहाज से अपनी छाप छोड़ने के मामले में अब तक रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। पिछले दो साल में इसके तहत वास्तविक एफएफएस की काफी कम रकम का ही इस्तेमाल हो पाया है। उद्यमी बनने की आकांक्षा रखने वालों को सूचना और सीखने से जुड़े संसाधन मुहैया कराने के लिए वर्चुअल स्टार्ट-अप इंडिया हब तैयार किया गया था। इस पोर्टल के जरिए अब तक 75,453 सवालों का निपटारा किए जाने का दावा किया गया है और स्टार्ट-अप इंडिया हब पर 15,000 रजिस्टर्ड यूजर हैं। स्टार्ट-अप इंडिया अभियान के तहत नए उद्यमियों के लिए बनाए गए लर्निंग और डिवेलपमेंट मॉड्यूल का अब तक 1,89,000 लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। बेशक यह पहल तारीफ के योग्य है, लेकिन भारत जैसे देश में इसका असर काफी कम है। यहां यह भी बताना प्रासंगिक हो सकता है कि संबंधित सरकारी विभाग ने विभिन्न उपायों के जरिए उद्यमिता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में उपयुक्त कदम उठाए हैं।

स्टैंड-अप इंडिया संबंधी पहल

स्टैंड-अप इंडिया पहल के तहत तकरीबन 1.25 लाख बैंक शाखाओं को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को फंड मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसके तहत देशभर में 2.5 लाख नए उद्यमी बनाने की बात है। इस पहल के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक शख्स और एक महिला को स्टार्ट-अप इंडिया स्कीम के तहत हर बैंक शाखा द्वारा 10 लाख से 100 लाख तक का ऋण देने का मकसद है, ताकि उनके बीच उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना से मौजूदा वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रेडिट गारंटी स्कीम के निचले पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक,

तकरीबन 2.5 लाभार्थियों को इससे फायदा होगा। दरअसल, समाज में जमीनी स्तर पर आर्थिक सशक्तीकरण और रोज़गार सृजन के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के मकसद से यह स्कीम तैयार की गई थी। इस स्कीम के तहत अब तक 60,795 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और 13,217 करोड़ रुपए को मंजूरी दी जा सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर 103 बैंकों की 1,33,236 शाखाएं स्टैंड-अप इंडिया वेब पोर्टल पर सक्रिय हैं और कर्ज के लिए 10084 आवेदन सौंपे गए हैं, जिनमें कुल 2,908 ऋण की मंजूरी दी गई है।

मुद्रा योजना (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमएमवाई)

माइक्रो यूनिट्स डिवेलपमेंट एंड री-फाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) स्टैंड-अप इंडिया पहल के तहत कार्यक्रम से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने की खातिर वित्तीय इकाई है। मुद्रा वित्तीय संस्थानों को फंड मुहैया कराता है, जो देश में छोटी इकाइयों को छोटे स्तर पर कर्ज देते हैं। बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), एमएफआई आदि द्वारा दिए गए छोटे ऋण में गड़बड़ी की स्थिति में भुगतान के मकसद से माइक्रो इकाइयों लिए क्रेडिट गारंटी फंड भी तैयार किया गया। इन छोटे ऋण की भी श्रेणियां तैयार की गई हैं, जिन्हें 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' नाम दिया गया है। यह श्रेणी फर्म के विकास की स्थिति और उसकी फंडिंग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। पीएमएमवाई योजना के तहत 12 करोड़ लाभार्थियों को 6 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं और कुल 12 करोड़ लाभार्थियों में से 28 फीसदी (यानी 3.25 करोड़) पहली बार उद्यमी बने हैं। साथ ही, इस बात का उल्लेख करना भी जरूरी है कि तकरीबन कर्ज लेने के मामले में 74 फीसदी (तकरीबन 9 करोड़) महिलाएं हैं और 55 फीसदी अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। तीन साल में इस योजना के तहत समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि, इस मामले में अभी काफी कुछ हासिल किया जाना बाकी है। लगातार निगरानी बनाए रखने का तंत्र और उद्यमिता के लिए सलाह और निर्देशन से मुद्रा के सहयोग वाले उद्यमों के लिए गुंजाइश बढ़ेगी और अगर ये उद्यम वृद्धि के रास्ते पर टिके रहे, तो सरकार ज्यादा से ज्यादा रोज़गार पैदा कर सकती है।

स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) का भी एलान 2014-15 के बजट सत्र के दौरान किया गया था, जिसका मकसद सरकार प्रायोजित वित्तीय सहयोग की मदद से स्व-रोज़गार मौकों को हासिल करने के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित करना था। एसवीईपी को मुख्य तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद देने और माइक्रो-क्रेडिट ऋण और अन्य सहयोग के जरिए वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करने के मकसद से तैयार किया गया है।

उद्यमिता से जुड़े मामलों की नियमित तौर पर देखरेख, समय-समय पर परामर्श व निर्देश और माइक्रो फाइनेंस और स्वयं सहायता समूहों की संभावनाओं का इस्तेमाल कर छोटे उद्यमों के विकास के लिए एकीकृत नीति संबंधी रणनीति के जरिए सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को प्रतिस्पर्धी उद्यमी में बदला जा सकता है, जो हमारे देश की आर्थिक आकांक्षाओं को रफ्तार दे सकते हैं। इसके अलावा, उद्यमिता संबंधी प्रेरणा के साथ आजीविका से जुड़े कौशल और रोज़गार प्रशिक्षण पर काम करने के दो मकसद हैं। एक तरफ रोज़गार पैदा करने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ बिना इस्तेमाल के मौजूद संसाधनों और अवसरों का दोहन करने की भी बात है।

इसके लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उप-योजना के तहत काम करने का प्रस्ताव पेश किया गय था। इस आइडिया पर अमल के मौजूदा चरण (2015-2019) में एसवीईपी ने 24 राज्यों के 125 ब्लॉकों से जुड़े तकरीबन 1.82 लाख ग्रामीण उद्यमों के सृजन और उसे मजबूत करने की दिशा में अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। इससे तकरीबन 3.78 लाख लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है। इस पहल के शुरू होने से ग्रामीण उद्यमिता के परिदृश्य को लेकर जागरूकता और सक्रियता बढ़ गई है। ग्रामीण उद्यमों को टिकाऊ बनाने के मकसद से हर क्षेत्र को उद्यमिता से जोड़ने के लिए इस योजना के अमल की प्रक्रिया और बेहतर बनाई जा सकती है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह मानना उचित होगा कि देश में सामाजिक रूप से पिछड़े और हाशिए पर मौजूद लोगों के बीच (खास तौर पर वैसे लोग जो भेदभाव के शिकार हैं, उद्यमिता संबंधी क्षमताओं को बढ़ावा देकर सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर बहुआयामी प्रगति हासिल की जा सकती है। इसे भेदभाव की सामाजिक बीमारी से निपटने के लिए सकारात्मक कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उद्यमिता से जुड़े मामलों की नियमित तौर पर देखरेख, समय-समय पर परामर्श व निर्देश और माइक्रो फाइनेंस और स्वयं सहायता समूहों की संभावनाओं का इस्तेमाल कर छोटे उद्यमों के विकास के लिए एकीकृत नीति संबंधी रणनीति के जरिए सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को प्रतिस्पर्धी उद्यमी में बदला जा सकता है, जो हमारे देश की आर्थिक आकांक्षाओं को रफ्तार दे सकते हैं। इसके अलावा, उद्यमिता संबंधी प्रेरणा के साथ आजीविका से जुड़े कौशल और रोज़गार प्रशिक्षण पर काम करने के दो मकसद हैं। एक तरफ रोज़गार पैदा करने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ बिना इस्तेमाल के मौजूद संसाधनों और अवसरों का दोहन करने की भी बात है। ❑

संदर्भ

1. एम्वे उद्यमिता रिपोर्ट भारत: 2015
2. द इंडियन एक्सप्रेस (3 फरवरी, 2016,)। डीयर मोदी सरकार, स्टार्ट अप इंडिया इज फाइन, बट व्हाट एबाउट रूरल आंत्रप्रेन्योरशिप? http%//indianexpress.com/article/blogs/start&up&india&is&fine&but&what&about&rural&entrepreneurship/
3. अय्यर, आई., खन्ना, टी, एंड वार्ष्णेय, ए. (2011)। कास्ट एंड आंत्रप्रेन्योरशिप इन इंडिया, हार्वर्ड व्यापार स्कूल, 4
4. सक्सेना, एस. (2012, अगस्त)। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रूरल आंत्रप्रेन्योर्स एंड रेमेडीज टू सॉल्व इट, आईओएसआर जर्नल ऑफ व्यापार एंड मैनेजमेंट, 3(1), 23-29।
5. शुक्ला एस., (2018)। जीईएम इंडिया रिपोर्ट-2016-17। इमरल्ड पब्लिशिंग इंडिया, नई दिल्ली।